Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Wed - 15 Jul - 2026 | Year - 01 | Issue - 100 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

पिंजौर-कालका क्षेत्र में ऑटो चालकों का रोष: भारी चालान, महंगी गैस और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ यूनियन ने उठाई आवाज

पिंजौर/कालका, 15 जुलाई। एचएमटी, पिंजौर और कालका क्षेत्र में ऑटो चालकों में पुलिस कार्रवाई, भारी चालानों और बढ़ती सीएनजी/गैस कीमतों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऑटो यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि छोटी-छोटी बातों पर भी 12 हजार से 24 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं, जिससे चालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

ऑटो यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि कई मामलों में चालान जारी करने से पहले चालकों को स्पष्ट कारण नहीं बताया जाता। उनका आरोप है कि कई बार वाहन की नंबर प्लेट की फोटो लेकर सीधे ई-चालान जारी कर दिया जाता है। यूनियन का कहना है कि चालकों को अपनी बात रखने या मौके पर स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।

यूनियन के अनुसार, क्षेत्र में जगह-जगह लगाए गए पुलिस नाकों पर ऑटो चालकों को बार-बार रोका जा रहा है। चालकों का आरोप है कि एचएमटी, पिंजौर और कालका मार्ग पर नियमित रूप से जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। उनका कहना है कि कई चालक केवल दो या तीन सवारियां लेकर चल रहे होते हैं, फिर भी उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।

ऑटो चालकों ने बढ़ती गैस कीमतों को भी अपनी आर्थिक परेशानी का बड़ा कारण बताया। उनका कहना है कि किराया सीमित है, जबकि सीएनजी/गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारी चालान भरना छोटे चालकों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। यूनियन का कहना है कि कई चालक रोज की कमाई से ही परिवार चलाते हैं और एक बड़ा चालान उनकी कई दिनों की आय समाप्त कर देता है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन चालकों को राहत नहीं मिली।

ऑटो यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि चालान जारी करने से पहले स्पष्ट कारण बताया जाए, छोटे उल्लंघनों पर अत्यधिक जुर्माना न लगाया जाए और चालकों की बात सुनने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। यूनियन ने यह भी कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चालक आगे की रणनीति तय कर सकते हैं।

हालांकि, इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी। यदि प्रशासन की ओर से कोई पक्ष प्राप्त होता है, तो उसे भी समाचार में शामिल किया जाएगा।

पूर्व सांसद तरलोचन सिंह को मिलेगा पहला 'गुरमति रतन' अवार्ड

चंडीगढ़, 15 जुलाई। पंजाब कला परिषद ने पद्मश्री डॉ. रतन सिंह जग्गी मेमोरियल चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से पहला यादगारी 'गुरमति रतन' अवार्ड पूर्व राज्यसभा सांसद सरदार तरलोचन सिंह को देने की घोषणा की है। इस सम्मान के तहत उन्हें 51 हजार रुपये, दुशाला और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। जूरी में डॉ. बलकार सिंह, डॉ. निवेदिता सिंह, डॉ. आतम रंधावा और मलविंदर सिंह जग्गी शामिल रहे। परिषद के अनुसार तरलोचन सिंह ने गुरमति सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार, सिख विरासत, धार्मिक सद्भाव और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

वे 2004 से 2010 तक राज्यसभा सदस्य तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष गुरमति सिद्धांतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्व को दिया जाएगा। यह सम्मान पद्मश्री डॉ. रतन सिंह जग्गी की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने गुरु साहिबान की वाणी, भक्ति आंदोलन और पंजाबी-हिंदी साहित्य पर लगभग 150 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर साहित्य जगत में अमिट पहचान बनाई।

पंजाब में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी

चंडीगढ़, 15 जुलाई। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (S I R) के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर-घर जाकर गणना फार्म वितरित करने और मतदान केंद्रों के युक्तिसंगतकरण का कार्य अब 3 अगस्त 2026 तक चलेगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। इनका निपटारा 13 अगस्त से 8 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले- जनता के सहयोग से पंजाब को हर क्षेत्र में बनाएंगे नंबर-1

मुकेरियां (होशियारपुर), 15 जुलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में देश का नंबर-1 बनाने का अभियान जनता के सहयोग और विश्वास से लगातार आगे बढ़ रहा है। मुकेरियां में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की तरक्की, खुशहाली और जनकल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए अधिकांश चुनावी वादे पूरे किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता की लड़ाई में उलझा हुआ है, जबकि उनकी सरकार लोगों को अधिक अधिकार और बेहतर सुविधाएं देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की जनकल्याण योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेताओं को सत्ता से दूर रखें जो जनता की योजनाओं को समाप्त करना चाहते हैं।

अकाली दल पर हमला बोलते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्य के लोगों ने उन्हें कई बार अवसर दिया, लेकिन उन्होंने पंजाब और उसके लोगों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोषियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय माफिया, भ्रष्टाचार और नशा तस्करी को बढ़ावा मिला, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शी शासन और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 68 हजार से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां दी गई हैं और टोल प्लाजा बंद कर रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि नहरी सिंचाई का उपयोग 22 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है तथा भूजल स्तर सुधारने के लिए रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में पंजाब के देशभर में प्रथम स्थान हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि स्मार्ट कक्षाएं, शिक्षकों का आधुनिक प्रशिक्षण और सरकारी स्कूलों के उन्नयन से यह उपलब्धि मिली है।

पंजाब में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सख्ती, 5% से अधिक बढ़ोतरी पर रोक; अभिभावकों को बड़ी राहत

चंडीगढ़/होशियारपुर/गढ़शंकर, 15 जुलाई। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाकर लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद "पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों की फीस नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026" लागू हो गया है।

रौड़ी ने कहा कि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार मानती है। पिछले कई वर्षों से निजी स्कूलों द्वारा हर साल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के कारण आम और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे शिक्षा का खर्च नियंत्रित होगा और परिवारों को राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नया कानून शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। अब स्कूल प्रशासन अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा, बल्कि निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सत्ता संभालने के बाद सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किए और अब निजी स्कूलों की फीस को भी नियमन के दायरे में लाया गया है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना है।

रौड़ी ने कहा कि पंजाब सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी जनहित से जुड़े ऐसे फैसले लगातार लिए जाते रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संशोधित अध्यादेश शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा तथा राज्य के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करेगा।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.